

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर-302005 ई-मेल-add4ng@gmail.com दुरभाष संख्या-0141-2222683

क्रमांक:- नर्सिंग/न0 आ0/स्था0/जोन-बीकानेर/233/ 2024/179

दिनांक:- 05.06.2024

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत कार्मिका द्वारा कॉलम संख्या 7 में अंकित दिनांक को दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से नियमित/स्थाई करते हुये इन्हे इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 8 में दर्शायी गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15 (1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद की पे मैट्रिक्स लेवल एल-08 में न्यूनतम वेतन 26300/- की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है, एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद (सुश्री/ श्रीमती)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	कार्मिका की काल्पनिक कार्यग्रहण तिथि जिससे परिवीक्षाकाल की गणना की जानी है।	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात परिवीक्षापूर्ण पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
01	दीपिका	बीकानेर	20.03.1992	10.08.2020	29.04.2020	28.04.2022	29.04.2022
02	सुदेश कुमारी	बीकानेर	05.01.1994	03.03.2021	—	02.03.2023	03.03.2023

नोट:-1. कम संख्या 01 पर अंकित कार्मिका को वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त राय के अनुसार चयन सूची में वरिष्ठ कार्मिक का निकटतम कनिष्ठ कार्मिका द्वारा कार्यग्रहण दिनांक से काल्पनिक लाभ व वास्तविक कार्यग्रहण तिथि से नगद परिलाभ देय होंगे। उक्त वित्त विभाग की आईडी क्रमांक 212300488 दिनांक 05.07.2023 के अनुसरण में जारी किये जा रहे हैं।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर।

दिनांक:- 05.06.2024

क्रमांक:- नर्सिंग/न0 आ0/स्था0/जोन बीकानेर/233/2024/179

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-बीकानेर।
- 2 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-बीकानेर।
- 3 संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
- 4 संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रमारी।
- 5 संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 6 प्रमारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर ई-मेल करे।
- 7 आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर।

RajKaj Ref
7465165

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :04-06-2024 04:01:18